न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल

निगरानी 7009-I-15

पुनरीक्षण कं. /15

श्री परमेश्वर दयाल अधिवक्ता द्वारा आज दि० 3/6/15 को प्रस्तुत

श्रीमती सविता कुमार
पत्नी श्री के.एल.कुमार
आयु वयस्क
प्रोपराईटर मै. शाइन मेटल इंण्डस्ट्रीज
3 ए इंण्डस्ट्रियल एस्टेट,
विदिशा म.प्र.

....अपीलार्थी

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन/कलेक्टरआफ स्टाम्प
जिला विदिशा

....अभ्यर्थी

रिवीजन अंर्तगत धारा 56(4) मुद्रांक अधिनियम

जिला पंजीयक एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प विदिशा जिला विदिशा के द्वारा पारित आदेश प्रकरण कं. 40/बी–103/2015–16 धारा 33,40,48 (ख) आदेश दिनांक 07.03.15 के विरूद्व निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

यह कि अपीलार्थी श्रीमती सविता कुमार पत्नी श्री के.एल.कुमार एवं श्री पार्थ कुमार द्वारा पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.04.2004 को डिजाल्व करने के उददेश्य से डिजूलूशन डीड रूप्ये 250/– के मुद्रांक पत्र पर निष्पादित किया गया जिसके आधार पर पार्टनर श्रीमती सविता कुमार के रिटायर होने के कारण शेष बचे पार्टनर पार्थ कुमार प्रोपराईटर के रूप में संशोधित हो गये। जबकि जिला पंजीयक एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प विदिशा जिला विदिशा ने विलेख उप पंजीयक महोदय के कार्यालय से जप्त कर प्रकरण धारा 33,40,48 (ख) में दर्ज किया जाकर दिनांक 07.03.2015 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 63,026/– जमा करने के आंदेश जारी किये। जिसकी प्रति दिनांक 07.03.2015 को दी गई। जिला पंजीयक एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प विदिशा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2015 (पी–1) से असंतुष्ट होकर यह अपील निम्नलिखित आधांरों एवं तथ्यों पर प्रस्तुत है।

~~अपील~~ रिवीजन के आधार

1. यह कि अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2015 विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्त न्यायालय ने उक्त प्रकरण का तथा दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन न करते हुए उक्त आधारहीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्त न्यायालय ने इन तथ्यों पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा निष्पादित डिजूलूशन डीड के द्वारा किसी अचल सम्पत्ती का अंतरण नहीं किया गया है एव ना ही किसी नगद राशी लेना या देना हुआ है। अतः अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अपीलार्थी द्वारा निष्पादित डिजूलूशन डीड के द्वारा किसी अचल सम्पत्ती का अंतरण नहीं किया गया है एव ना ही किसी नगद राशी लेना या देना हुआ है उक्त संव्यवहार एक पारिवारिक संव्यवहार है। अतः अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

Savita Kumar

R-7009-I/15 (विविध)

12/5/16 [illegible]	आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं. आवेदक को कई बार सूचनापत्र भेजे गये हैं परन्तु उनकी ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण को चलाने में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण [illegible] समाप्त किया जाता है।

[कृ. प. उ.